परिशिष्ट - "अ"

ता.प्र.क्र. 6738/23

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र0 / स्था–1 / राज / बी / 2015 / 1768 भोपाल,दिनांक 29 / 05 / 2015

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषयः– विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद का प्रभार।

प्रदेश में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद का प्रभार विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थित उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौपा जाये। यदि उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त है, तब विकासखण्ड मुख्यालय पर पदस्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठतम प्राचार्य को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

29/5/15
(डी0डी0 अग्रवाल)
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

क्र0 / स्था–1 / राज / बी / 2015 / 1769 भोपाल,दिनांक 29 / 05 / 2015

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी / माननीय राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

29/5/15
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट - अ

प्रारं. क्रमांक 5738/23.3

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.1 / राज / बी / 2015 / 1187 भोपाल, दिनांक 17/08/2015

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषय :– विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद का प्रभार।

संदर्भ :– संचालनालय का क्र–स्था.1 / राज / बी / 2015 / 768, भोपाल दि. 29.05.2015।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थित उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद का प्रभार सौंपने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त होने पर, इस रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थित उत्कृष्ट उ.मा.वि.के पास रहेगा।

विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थित उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मे प्राचार्य का पद रिक्त होने पर समीपवर्ती शा.उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ प्राचार्य को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार देकर लोक शिक्षण संचालनालय को अवगत कराने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डी.डी.अग्रवाल) 14/8
आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / स्था.1 / राज / बी / 2015 / 1188 भोपाल, दिनांक 17/08/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी / माननीय राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश,भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

आयुक्त, 14/8
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल